

वादी की और से श्री रामकुमार कस्वा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री मदनलाल मुण्ड अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 02.12.20 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाकर डिक्री की जाती है कि वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र का स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धार 88 आस्टीए के अन्तर्गत वादी प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है कि:- चक 16 एमडी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की खाता संख्या 34/29 के पत्थर नम्बर 142/334. मुख्वा नम्बर 43 किला नम्बर 12/0.164 13,18ता20, 21/2/0.228, - 22/2/0.228, 23/2/0.228 कुल 1.860 हैक्. भूमि का - वादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 9 एमडी, 16 एमडी व 1 ए डकलक्टर एस एम की शेष भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वाद पत्र के प्रस्तुति के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 को उपहार में दी गई भूमि उपहारानुसार प्रतिवादी संख्या 2 व शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 यथावत खातेदार रहेगे।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/विरानी/गैरमुमकिन ) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे।

यह डिक्री आज दिनांक 02.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

मिलान किया

प्रमाणित प्रतिलिपि  
सत्यमेव जयते

सिडर  
उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
हनुमानगढ़।

Copy - Not Official